संख्याः– 455 /xxviii–5–2017–20/2012.

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 23 मई, 2017

विषयः सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में पी0पी0पी0 मोड में मै0 राहीकेयर संस्था के सहयोग से क्रियाशील नेफ्रोडायलिसिस सेण्टर के संचालन हेतु माह दिसम्बर 2016, जनवरी 2017, फरवरी 2017 एवं 1 मार्च 2017 से 18 मार्च 2017 तक के बीजकों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 27प/पी0पी0पी0/16/2013/5275, दिनांक 20 मार्च 2017 एवं पत्र संख्या 27प/पी0पी0पी0/16/2013/16421, दिनांक 01 अप्रैल 2017 के सन्दर्भ में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में पी0पी0पी0 मोड में मै0 राहीकेयर संस्था के सहयोग से क्रियाशील नेफ्रोडायलिसिस सेण्टर के संचालन हेतु **माह दिसम्बर 2016, जनवरी 2017, फरवरी 2017 एवं 1 मार्च 2017 से 18 मार्च 2017 तक के बीजक कमशः रु0 21,81,820.00 रु0 57,40,456.00, रु0 52,00,929 एवं 32,77,705.00 अर्थात कुल रु0 1,64,00,910.00 (एक करोड़ चौसठ नौ सौ दस मात्र)** की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इसका भुगतान मै0 राहीकेयर प्रा0 लि0 के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त संस्था को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,देहरादून जिम्मेदार होंगे।
2. निजी सहभागी द्वारा उक्त केन्द्र में प्रदान की जा रही सेवाओं के संतोषजनक होने के सम्बन्ध में पूर्णतः सुनिश्चित हो लेने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 व वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1

(लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आगामी बीजकों के साथ बी0पी0एल0 मरीजों को उपलब्ध कराये जाने वाले कन्ज्यूमेबिल बीजकों का विवरण भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. निजी सहभागी को उपरोक्तवत् बीजकों का भुगतान इस शर्त के साथ प्रदान किया जाय कि निजी सहभागी द्वारा यूजर्स चार्जेज, बिजली, पानी के बिल एवं अन्य देयक, यदि कोई हो, तो पहले उसकी वसूली कर ली जाय।
7. इस सम्बन्ध में होने व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, मतदेय, 06–लोक स्वास्थ्य, 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन, मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक आलॉटमेन्ट आई डी0–सं0– S1705120161

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–455 (1)/XXVIII–5–2017–20/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0।
9. मै0 राहीकेयर प्रा0 लि0, चण्डीगढ़।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव